



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का आकलन

डॉ.रानी जाटोलिया

सहायक आचार्य- गृह विज्ञान, किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, कुवारिया, राजसमंद (राजस्थान)

सारांश

समेकित बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार की सबसे वृहद् एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः नवजात शिशु की देखभाल एवं उसके समग्र विकास पर बल दिया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्पादित किया जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र का केन्द्र राजस्थान राज्य का राजसमन्द जिला है जिसमें कुल 1109 आँगनवाड़ियाँ स्थित है। शोध कार्य हेतु राजसमन्द जिले के तीन विकास खंडों राजसमंद शहरी, देवगढ़ एवं रेलमगरा में स्थित 301 आँगनवाड़ी केंद्रों का इकाई के रूप में चयन किया गया है। प्रत्येक खंड से 30 आँगनवाड़ियों का चयन देव लाटरी पद्धति के द्वारा समान आनुपातिक आधार पर किया गया। शोध कार्य हेतु 30 आँगनवाड़ियों से 30 कार्यकर्ताओं का चयन किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची पद्धति का आँकड़ों के संकलन हेतु प्रयोग किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का आकलन करते हुए उनके निराकरणों की स्थापना करना है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आँगनवाड़ियों के माध्यम से आँगनवाड़ी कार्यकर्ता उपलब्ध सुविधाओं को लाभार्थियों तक पहुँचा रही है। लेकिन शोध में यह पाया गया कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, जैसे कि आँगनवाड़ियों से सम्बन्धित बुनियादी सुविधाओं का अभाव, कार्य का अधिभार, अपर्याप्त वेतन, कार्यस्थल तक पहुँचने की असुविधा इत्यादि। शोध अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, पर्याप्त वेतनमान देना तथा कार्य की अधिकता को कम करना आदि जैसे प्रयास करने की आवश्यकता है।

संकेत शब्द - समेकित बाल विकास सेवा योजना, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, समस्याओं, निराकरण, राजसमन्द

परिचय

समेकित बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार की अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः नवजात शिशु की देखभाल एवं उसके समग्र विकास पर बल दिया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के वंचित वर्ग के बालकों के विकास एवं जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना है। उक्त योजना अगस्त 1974 को लागू की गई थी। भारत सरकार ने बालकों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति की घोषणा करते हुए घोषित किया कि बच्चे राष्ट्र की श्रेष्ठतम एवं महत्वपूर्ण सम्पदा हैं। इस नीति के अन्तर्गत बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ निर्धारित करते हुए उपलब्ध कराने पर बल दिया गया था। समेकित बाल विकास सेवाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1975 को भारत के तैतीस 33 खण्डों में एक साथ लागू किया गया।

भारत के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं- बच्चों को पूर्व विद्यालय शिक्षा उपलब्ध कराना, कुपोषण को दूर करना, शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना, बाल मृत्युदर के दूषित चक्र को तोड़ना आदि। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता के साथ बाल विकास की उपलब्धि प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण व कड़ी चुनौती है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना मानव संसाधन विकास के महत्वपूर्ण कारकों स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा पर बल देती है। यह योजना इन मुद्दों को लेकर चलने वाली अद्वितीय योजना है। समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं स्वास्थ्य सलाह सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये सभी सेवाएँ मुख्य रूप से छः वर्ष से छोटे बच्चों, प्रसूताओं, दुग्धपान कराने वाली माताओं को प्रदान की जाती हैं। अनौपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा का सम्बन्ध 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों से है तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का संबंध 15 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं से है। उक्त शिक्षा इन केन्द्रों के माध्यम से इन्हें उपलब्ध करवाई जाती है। यह सेवा योजना बच्चों के समग्र विकास को दृष्टिगत रखती है तथा उनके जन्म पूर्व तथा जन्म पश्चात् के वातावरण अर्थात् परिवेश व स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रयास करती है।

इस योजना के माध्यम से अपने उद्देश्यों को साकार रूप देने के लिए संपूर्ण देश में आँगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई। जहाँ आँगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों एवं माताओं को समुचित सेवाएँ प्रदान कर रही है।

समस्या कथन-

आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का आकलन करते हुए उनके निराकरणों की स्थापना करना है ।

शोध पद्धति -

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है ।

अध्ययन का क्षेत्र एवं इकाई निर्धारण

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र राजस्थान के राजसमंद जिले तक सीमित है। वर्तमान में राजसमंद में कुल 1109 आँगनवाड़ियाँ आठ विकास खंडों में कार्यरत है। शोधकार्य हेतु राजसमंद जिले के तीन विकास खंडों राजसमंद शहरी, देवगढ़ एवं रेलमगरा में स्थित 301 आँगनवाड़ी केंद्रों का इकाई के रूप में चयन किया गया।

प्रतिदर्श-

प्रत्येक खंड से 30 आँगनवाड़ियों का चयन देवलाटरी पद्धति के द्वारा समान आनुपातिक आधार पर किया गया । 30 आँगनवाड़ियों से 30 कार्यकर्ताओं का चयन किया गया ।

प्रतिचयन विधि -

प्रतिदर्श के चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि का प्रयोग किया गया है ।

उपकरण -

आँकड़ों के संकलन के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया ।

आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं व्याख्या-


पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वयं द्वारा निर्मित साक्षात्कार अनुसूची को चयनित 90 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर लागू किया गया तथा प्राप्त परिणामों के अध्ययन के लिए प्रतिशत एवं सांख्यिकीय प्रविधि के अंतर्गत उचित रीति से जाँचकर, संपादित कर, कूटित किया गया।

परिणाम एवं व्याख्या -

सारणी 1: आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आयु

| आँगनवाड़ी कार्यकर्ता N= 90 | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| आयु वर्ग | राजसमन्द शहरी N= 30 | रेलमगरा N= 30 | देवगढ़ N= 30 | कुल N= 90 | % |
| 18-25 | 5 | 7 | 8 | 20 | 22.2 |
| 26-35 | 11 | 9 | 10 | 30 | 33.3 |
| 36-45 | 5 | 6 | 8 | 19 | 21.1 |
| 46-60 | 9 | 8 | 4 | 21 | 23.3 |
| कुल | 30 | 30 | 30 | 90 | 100.0 |

चित्र : 1




उपर्युक्त सारणी और चित्र 1 में आयु के अनुसार आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विवरण दिया गया है जिसमें सर्वाधिक 33.3 प्रतिशत 26 से 35 वर्ष की आयुवर्ग की है और 23.3 प्रतिशत 46 से 60 वर्ष एवं 22.2 प्रतिशत 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की है तथा सबसे कम संख्या 21.1 प्रतिशत 36 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की है। ठाकरे, एम. (2011) के ओरंगाबाद शहर के अध्ययन के अनुसार आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अधिकतम संख्या (39.28%)

41-50 वर्ष आयु वर्ग के थे। 7 (25%) कार्यकर्ता 31-40 वर्ष वर्गसमूह तथा 50 से अधिक वर्ष के थे। सबसे कम 3 (10.70%) कार्यकर्ता 20-30 वर्ष की आयु वर्ग के थे। लगभग आधे (53.57%) आँगनवाड़ी कार्यकर्ता मेट्रिक पास थे। केवल 3.57 प्रतिशत कार्यकर्ता स्नातकोत्तर थे। 82.14 प्रतिशत कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष से अधिक का अनुभव था।

सारणी 2 : आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वैवाहिक स्थिति

| आँगनवाड़ी कार्यकर्ता N= 90 | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------|-------|
| वैवाहिक स्थिति | राजसमन्द शहरी N= 30 | रेलमगरा N= 30 | देवगढ़ N= 30 | कुल N=90 | % |
| अविवाहित | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| विवाहित | 18 | 17 | 20 | 55 | 61.1 |
| परित्यक्ता | 7 | 6 | 3 | 16 | 17.8 |
| तलाकशुदा | 3 | 4 | 3 | 10 | 11.1 |
| विधवा | 2 | 3 | 4 | 9 | 10.0 |
| कुल | 30 | 30 | 30 | 90 | 100.0 |

चित्र : 2




उपर्युक्त सारणी और चित्र 2 में वैवाहिक स्थिति के अनुसार आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विवरण दिया गया है जिसमें सर्वाधिक 61.1 प्रतिशत विवाहित और 17.8 प्रतिशत परित्यक्ता एवं 11.1 तलाकशुदा जबकि 10 प्रतिशत विधवा पायी गई है। जाधव, ए.जी. (2012) के सांगली शहर के अध्ययन के अनुसार आँगनवाड़ी कार्यकर्ता 25-45 वर्ष की विवाहित महिलाएँ हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं। वे सभी 10-12वीं तक शिक्षित हैं और शिल्प प्रशिक्षण के रूप में सिलाई पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है 10-15 वर्ष का कार्यानुभव है। कुल मिलाकर छः सेवाओं में से टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा से पूरी तरह सन्तुष्ट हैं लेकिन पूरक पोषण, स्वास्थ्य परामर्श और विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षा सेवाओं से आंशिक रूप से सन्तुष्ट हैं। वर्मा, एस., कौर, जी. (2014) के पंजाब के अध्ययन के अनुसार पाया गया कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित, विवाहित और विधवा), शैक्षिक स्थिति (माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और स्नातक), जातिगत आधार, धर्म, पारिवारिक स्थिति, इत्यादि में अन्तर है। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है सामाजिक-आर्थिक आधार पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जवाबदेही असमान/अलग नहीं है। यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत जवाबदेहिता में मतभेद या असमानता है।

सारणी 3: परिवार की प्रकृति

| आँगनवाड़ी कार्यकर्ता N= 90 | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|-------|
| परिवारकी प्रकृति | राजसमन्द शहरी N= 30 | रेलमगरा N= 30 | देवगढ़ N= 30 | कुल N= 90 | % |
| एकल परिवार | 19 | 16 | 21 | 56 | 62.2 |
| संयुक्त परिवार | 11 | 14 | 9 | 34 | 37.8 |
| कुल | 30 | 30 | 30 | 90 | 100.0 |

चित्र : 3



उपर्युक्त सारणी और चित्र 3 में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार की प्रकृति के बारे में विवरण दिया गया है जिसमें

62.2 प्रतिशत का एकल परिवार है और 37.8 प्रतिशत का संयुक्त परिवार है।

सारणी 4 : कार्य के दौरान पारिवारिक व व्यक्तिगत समस्या

| आँगनवाड़ी कार्यकर्ता N= 90 | | | | | |
|---|-----|-------|------|-------|-----------|
| पारिवारिक व व्यक्तिगत समस्या | हाँ | % | नहीं | % | कुल N= |
| शारीरिक थकान | 54 | 60.0% | 36 | 40.0% | 90 |
| मानसिक तनाव | 34 | 37.8% | 56 | 62.2% | 90 |
| पारिवारिक सम्बन्धों में तनाव | 23 | 25.6% | 67 | 74.4% | 90 |
| पारिवारिक मामलों में उदासीनता | 21 | 23.3% | 69 | 76.7% | 90 |
| पारिवारिक कार्यक्रमों में पूरी सहभागिता न निभा पाना | 34 | 37.8% | 56 | 62.2% | 90 |
| दैनिक दिनचर्या में परेशानियाँ | 45 | 50.0% | 45 | 50.0% | 90 |
| परिवार से उपेक्षा | 10 | 11.1% | 80 | 88.9% | 90 |
| अन्य और कोई | 8 | 8.9% | 82 | 91.1% | 90 |

उपर्युक्त सारणी 4 में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार कार्यके दौरान समस्याओं का विवरण दिया गया है जिसमें 60 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक शारीरिक थकान होती है, 37.8 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानसिक तनाव होता है, 25.6 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पारिवारिक सम्बन्धों में तनाव होता है, 23.3 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पारिवारिक मामलों में उदासीनता रहती है, 37.8 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ता पारिवारिक कार्यक्रमों में पूरी सहभागिता नहीं निभा पाती है, 50 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दैनिक दिनचर्या में परेशानियाँ आती है, 2.2 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परिवार से उपेक्षा हो जाती है जबकि सबसे कम 8.9 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य और कोई समस्या हो जाती है।

सारणी 5 : आँगनवाड़ी कार्य के दौरान सामाजिक समस्या

| आँगनवाड़ी कार्यकर्ता N= 90 | | | | | |
|---|-----|-------|------|-------|-----------------|
| सामाजिक समस्या | हाँ | % | नहीं | % | कुल N= 90 |
| सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में असक्षम | 34 | 37.8% | 56 | 62.2% | 90 |
| सामाजिक कार्यक्रमों में अरुचि/उदासीनता | 38 | 42.2% | 52 | 57.8% | 90 |
| सामाजिक गतिविधियों में अरुचि | 36 | 40.0% | 54 | 60.0% | 90 |
| सामाजिक संबंधों में कमी | 44 | 48.9% | 46 | 51.1% | 90 |
| अन्य और कोई | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |

उपर्युक्त सारणी 5 में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार कार्य के दौरान सामाजिक समस्याओं का विवरण दिया गया है जिसमें 37.8 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में असक्षम और 42.2 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक कार्यक्रमों में अरुचि/उदासीनता होती है एवं 40 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक गतिविधियों में अरुचि होती है जबकि 48.9 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके सामाजिक संबंधों में कमी आई है। मोहनन, पी., जैन, ए. इत्यादि (2005) के शोध पत्र के अनुसार का अध्ययन क्षेत्र मंगलौर से अध्ययन हेतु 100 आँगनवाड़ियों का नमूनों के तौर पर चयन किया। 71% आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आयु समुह 21-40 वर्ष था। दूसरा बहुमत 81.7% कार्यकर्ता शादी कर चुके थी। 58.5% कार्यकर्ताओं का कार्यानुभव 1-10 तक हो चुका था। 10.12% आँगनवाड़ी कार्यकर्ता तनाव में थी जबकि 3.4% कार्यकर्ता परेशान थी। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के तनाव

का स्तर उनकी आयु के अनुसार था। बाँड़ी मास इंडेक्स भी तनाव से सम्बन्धित है। तनाव के कारणों में 66.6% अधिक वजन के थी, 33.3% मोटे, 10% कम वजन और 70% सामान्य थी। कुछ आँगनवाड़ी कार्यकर्ता गैस्ट्रीटीस के लक्षणों की शिकायत कर रहे थी। जिनमें 32% को सेवा में आने के बाद लगा।

सारणी 6 : कार्य से सम्बन्धित समस्या

| आँगनवाड़ी कार्यकर्ता N= 90 | | | | | |
|--|-----|-------|------|-------|-----------------|
| समस्या | हाँ | % | नहीं | % | कुल N= 90 |
| समस्याओं को समझना | 75 | 83.3% | 15 | 16.7% | 90 |
| कार्यावधि को लेकर | 22 | 24.4% | 68 | 75.6% | 90 |
| कार्यभार की अधिकता | 56 | 62.2% | 34 | 37.8% | 90 |
| अल्प और अपर्याप्त साधन सुविधाएँ | 68 | 75.6% | 22 | 24.4% | 90 |
| अक्सर तनावपूर्ण स्थिति | 54 | 60.0% | 36 | 40.0% | 90 |
| सहकर्मियों का असहयोग | 37 | 41.1% | 53 | 58.9% | 90 |
| लगातार आँगनवाड़ी लाभार्थियों की शिकायतें | 68 | 75.6% | 22 | 24.4% | 90 |
| वरिष्ठ अधिकारियों का कठोर (कड़ा) व्यवहार | 71 | 78.9% | 29 | 32.2% | 100 |
| अपर्याप्त मानदेय (वितन विसंगति) | 88 | 97.8% | 2 | 2.2% | 90 |
| अत्यधिक रिकार्ड का रखरखाव | 81 | 90.0% | 9 | 10.0% | 90 |
| राजनीतिक दबाव | 74 | 82.2% | 16 | 17.8% | 90 |
| अन्य | 75 | 83.3% | 15 | 16.7% | 90 |

उपर्युक्त सारणी 6 में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार कार्य से जुड़ी समस्याओं का विवरण दिया गया है जिसमें 83.3 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समस्याओं को समझ नहीं है, 24.4 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यावधि को लेकर समस्या है, 62.2 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यभार की अधिकता की, 75.6 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अल्प और अपर्याप्त साधन सुविधाओं की, 60 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अक्सर तनावपूर्ण स्थिति की, 41.1 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सहकर्मियों के असहयोग की, 75.6 प्रतिशत आँगनवाड़ी

कार्यकर्ताओं को लगातार आँगनवाड़ी लाभार्थियों की शिकायतों को लेकर समस्या है, 78.9 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ अधिकारियों का कठोर (कड़ा) व्यवहार से, 97.8 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपर्याप्त मानदेय (वितन विसंगति) को लेकर समस्या है जबकि 90 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अत्यधिक रिकार्ड का रखरखाव को लेकर समस्या है तथा 83.3 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दबाव को लेकर समस्या है।

निष्कर्ष

ग्रामीण महिलाओं एवं शिशुओं के उत्थान की दृष्टि से भारत में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए और वर्तमान में भी संचालित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिला एवं बाल विकास के लिए निरंतर योजनाओं को लागू किया गया। सरकार इन प्रयासों में सफल रही है परंतु कतिपय कारणों से शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। समय-समय पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संचालित किए जाने के बाद भी आज भी महिलाएँ कुपोषित हैं। बच्चे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं उनका समुचित विकास करना परम आवश्यक है परंतु आँकड़ों के अनुसार भारत में बच्चों की स्थिति अभी भी उतनी श्रेष्ठ स्थिति में नहीं है इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की कल्याण एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा अनेकानेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

उचित नीतियों के अभाव में बच्चों तक भी ठीक ढंग से शिक्षा नहीं पहुँच रही है। गाँव ही नहीं शहरों तक अधिकांश महिलाएँ आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसी उद्देश्य की पूर्णता हेतु भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना (ICDS) को प्रारंभ किया। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आँगनवाड़ियों को प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। इन्हीं आँगनवाड़ियों के माध्यम से आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का आकलन करने के लिए किया गया। अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों से ज्ञात होता है कि अध्ययन में शामिल कुल 90 आँगनवाड़ियों की 90 कार्यकर्ताओं में सबसे अधिक 33.3 प्रतिशत कार्यकर्ता 26 से 35 वर्ष की थीं। जिनमें से सर्वाधिक 61.1 प्रतिशत विवाहित तथा 38.9 प्रतिशत अन्य महिलाएँ थीं। 62.2 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एकल परिवार है और 37.8 प्रतिशत का संयुक्त परिवार है। 60 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य के दौरान पारिवारिक व व्यक्तिगत समस्याओं के अंतर्गत शारीरिक थकान महसूस होती है वहीं 37.8 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानसिक तनाव होता है। 37.8 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में असक्षम बताया है वहीं इसके विपरीत 62.2 प्रतिशत कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा से इनकार किया है और 48.9 प्रतिशत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके सामाजिक संबंधों में कमी आई है। 62.2 प्रतिशत आँगनवाड़ी

कार्यकर्ताओं को कार्यभार की अधिकता की, 75.6 प्रतिशत को अल्प और अपर्याप्त साधन सुविधाओं है वहीं 97.8% कार्यकर्ताओं को वेतन को लेकर समस्या है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी आयु वर्ग में लगभग समान रूप से कार्यरत है जिनमें सर्वाधिक विवाहित व एकल परिवार से संबंधित है। जहाँ तक इनकी सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं की बात की जाए तो पाते हैं कि इसका कारण विवाहित होने के साथ-साथ एकल परिवार में रहना है जिसके कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं में शारीरिक थकान, दैनिक दिनचर्या में परेशानियाँ, सामाजिक संबंधों में कमी, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में असक्षमता, अरुचि एवं उदासीनता दिखाई देती है। वहीं कार्य से संबंधित समस्याओं में समस्याओं को समझना, कार्यभार की अधिकता, अल्प एवं अपर्याप्त साधन सुविधाएँ, अपर्याप्त मानदेय तथा अत्यधिक रिकॉर्ड का रखरखाव इत्यादि है।

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता उक्त समस्याओं के बावजूद भी योजना के सफल क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। लेकिन समस्याओं का निराकरण किया जाए तो यह योजना पूर्ण रूप से सफल योजना साबित होगी और कार्यकर्ता भी अपने कार्य को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नजर आएंगे। मूल रूप से उनके कार्य से सम्बन्धित प्रशिक्षणों को बढ़ाना चाहिए जिनसे उनको समस्याओं को समझने में सहजता रहे। कार्यभार को कम करते हुए रिकॉर्ड के रखरखाव को व्यवस्थित किया जाए। पर्याप्त साधन सुविधाएँ प्रदान करते हुए पर्याप्त मानदेय दिया जाए जिससे कि उनको आर्थिक सम्बलता के साथ-साथ सभी तरह की समस्याओं से निजात मिल सके और वह योजना को लाभार्थियों तक पूर्ण गुणवत्ता के साथ पहुँचा सके।

सन्दर्भ एवं ग्रंथ सूची

- जाधव, ए.जी. (2012) "महाराष्ट्र राज्य के सांगली शहर की आँगनवाड़ियों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन", श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय, झुंझुनु, राजस्थान, पृष्ठ संख्या 240 - 261
- ठाकरे, एम. (2011) "शहरी आई.सी.डी.एस. ब्लॉक के अंतर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ज्ञान एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन" चिकित्सा महाविद्यालय चंडीगढ़ की पत्रिका, अंक 7
- मोहनन, पी., जैन, ए. इत्यादि (2012) "क्या आँगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वस्थ और खुश है ? सामान्य प्रश्नावली के माध्यम से एक क्रास सेक्सनल स्टडी, मंगलोर, भारत" जेसीडीआर, सितंबर, अंक -6 (7) पृष्ठ संख्या 1151 - 1154
- वर्मा, एस., कौर, जी. (2014) "कुछ चयनित व्यक्तिगत परिवर्तनों के संबंध में पंजाब के आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जवाबदेही", इंटरनेशनल एजुकेशनल ई-जर्नल, अंक 3 (4) अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर 2014, पृष्ठ संख्या 106-114

- [Www.wcd.nic.in](http://www.wcd.nic.in)
- www.wcd.rajasthan.gov.in
- Www.researcharticle.com

